

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभागहरसूद
जिला खण्डवा, (म0प्र0)

क्रमांक/ 1060/भू-अर्जन/2018
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 26 /05/2018
हरसूद

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल
विषय :- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

---00---

राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ.82/2017-18 में ग्राम पिपलिया भोजू तहसील खालवा जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 81.511 हेक्टर के भू-अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक-30, सन् 2013) की धारा-19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट कृपया पूर्व निम्न पूर्व निम्न संलग्न :- 02 प्रतियां।



(जगदीश मेहरा)

अनु-विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)
खण्डवा दिनांक 26 /5/2018
हरसूद

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1061/भू-अर्जन/2018
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियां संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियां इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खंडवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 2- कलेक्टर महोदय, (भू-अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।
- 4- तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियां संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।
- 5- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु-विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन
अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं० एलए./2017
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 01/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक ३५/०५/2018

// उद्घोषणा //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला : खण्डवा
(ख) तहसील : खालवा
(ग) ग्राम : पिपलिया भोजू
(घ) अर्जित रकबा : 81.511 हेक्टर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
52	0.200	99/3	0.750	168	8.250	180/2	1.300
60	4.820	102	1.100	169/1	0.500	180/3	0.900
61	1.100	110	0.080	169/2	0.151	54	0.020
62	5.400	109	0.010	170	1.650	114/1	0.020
55/1	0.010	113/1	0.020	171	5.820	114/2	0.020
56/1	0.050	113/2	0.020	178/1	0.600	114/3	0.020
56/2	0.450	115	0.130	172/1	0.600	114/4	0.020
70	0.010	154	0.270	173	0.300	71	0.370
56/3	0.450	162	2.500	174/1	0.100	156	0.005
58	2.700	163/1	0.150	178/2	0.400	157	0.002

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
59	2.140	163/2	0.160	172/2	0.190		
65	3.780	164/1	1.150	174/2	0.210		
64	2.650	164/2	1.040	172/3	0.130		
66/1	0.370	164/3	1.600	178/3	1.020		
68	2.190	164/4	1.293	176	0.310		
66/2	2.550	164/5	1.030	180/5	1.000		
69	2.080	164/6	0.900	177	1.000		
98	5.590	165	0.200	180/4	0.560		
99/1	0.750	167/1	0.300	179	2.800		
99/2	0.750	167/2	0.700	180/1	1.800		
						योग	81.511

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु।

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खण्डवा